



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 3, 2013/आश्विन 11, 1935

No. 504]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2013/ASVIAN 11, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 669(अ).—केन्द्रीय सरकार भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 25 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमनकारी) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमनकारी) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास और विनियमनकारी) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2013 में चयन समिति की संरचना से संबंधित नियम 3 के उपनियम (1) में, खंड (iv) और खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएं, अर्थात् :—

“(iv) अध्यक्ष लोक उद्यम चयन बोर्ड

अध्यक्ष

(v) अध्यक्ष, भांडागार विकास और विनियमनकारी प्राधिकारी (केवल भांडागार विकास और विनियमनकारी प्राधिकारी के सदस्य के चयन के लिए)

सदस्य

(vi) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

सदस्य’।

[सं. टीएफसी/13/2008]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 408(अ) तारीख 26 जून, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।